संख्या-267/2018/2950/71-1-2018-जी-133/2018

प्रेषक,

मुकेश कुमार मेश्राम,
सचिव
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,
उ0प्र0, लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1 लखनऊ : दिनॉक 09 अक्टूबर, 2018

विषयः- वित्तीय वर्ष 2018-19 में राजकीय मेडिकल कालेज, सहारनपुर एवं आजमगढ़ हेतु उपकरणों के क्रय किए जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-एम0ई0/पर्चेज/2018/299, दिनॉक 16-08-2018 एवं पत्र संख्या-एम0ई0/पर्चेज/2018/301, दिनॉक 16-08-2018 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि एम0सी0आई0 मानकों की पूर्ति किए जाने के दृष्टिगत राजकीय मेडिकल कालेज, सहारनपुर एवं राजकीय मेडिकल कालेज, आजमगढ़ हेतु उपकरण क्रय हेतु प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष निम्नानुसार उपकरणों का क्रय किए जाने की राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः-

(1) वित्तीय वर्ष 2018-19 में राजकीय मेडिकल कालेज, सहारनपुर हेतु शासनादेश संख्या-174/2018/2134/71-1-2018-जी-133/2018, दिनॉक 18.06.2018 द्वारा अनुमोदित उपकरणों की सूची के क्रमांक-33 पर रेडियोलोजी विभाग के लिए अनुमोदित की गयी 02 नग 600 एम0ए0 एक्स-रे मशीन हेतु धनराशि रू0 40.00 लाख से उसी धनराशि की सीमा के अधीन 01 नग 60 एम0ए0 एक्स-रे मशीन, 01 नग 600 एम0ए0 एक्स-रे मशीन, 01 नग 800 एम0ए0 एक्स-रे मशीने के क्रय किये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है। शासनादेश संख्या-174/2018/2134/71-1-2018-जी-133/2018, दिनॉक 18.06.2018 की शेष शर्ते यथावत् रहेंगी।

(2) वित्तीय वर्ष 2018-19 में राजकीय मेडिकल कालेज, आजमगढ़ हेतु उपकरणों के क्रय हेतु प्राविधानित धनराशि में से अवशेष धनराशि रू0 52,73,427/- के सापेक्ष क्रय किये जाने वाले उपकरणों की संशोधित सूची को अनुमोदित करते हुए 02 नग 100 एम0ए0 एक्स-रे मशीन के क्रय हेतु रू0 9,00,000/- की वित्तीय एवं प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की जाती है।

भवदीय

(मुकेश कुमार मेश्राम)
सचिव

संख्याः-267/2018/2950(1)/71-1-2018 तद्यदिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- वित्त नियंत्रक, महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
3- प्रधानाचार्य, मेडिकल कालेज, सहारनपुर एवं आजमगढ़।
4- वित्त नियंत्रक, मेडिकल कालेज, सहारनपुर एवं आजमगढ़।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

5- वरिष्ठ कोषाधिकारी, सहारनपुर एवं आजमगढ़।
6- नियोजन अनुभाग-4
7- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2, वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3
8- संबंधित समीक्षाधिकारी/गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(अनिल कुमार)
उप सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।